न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 06/23 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/19

उनवान

1. महेश चन्द पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम रणधीरगढ तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. कमरपाल पुत्र छीतर
2. महेन्द्र पुत्र कमरपाल

} जाति माली निवासी नयावास भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर दिनांक 08.07.2022 उनवानी महेशचन्द बनाम कमरपाल मु0न0 78/20

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विजय सिहं झारौटिया उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री नरेन्द्रपाल सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 28.04.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकार भुसावर के आदेश दिनांक 08.07.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम भुसावर द्वितीय तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है, जिसके सम्पूर्ण भाग का प्रार्थी अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है एवं शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। अप्रार्थी रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। परन्तु अप्रार्थी रैस्पो0 बदमाश एवं सरगना व्यक्ति हैं, जो प्रार्थी अपीलाण्ट की आराजी पर जबरन कब्जा करने एवं पक्का निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिले मंसूखी है। यह है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं रैस्पो0 का उक्त विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को भी अपीलाधीन आदेश से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया, जो उचित नहीं है। यह है कि प्रकरण में रास्ते का कोई विवाद ही नहीं है। प्रकरण में अपीलाण्ट ने सिर्फ अपनी खातेदारी की आराजी में रैस्पो0 के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं करने एवं निर्माण कार्य नहीं करने बाबत् अनुतोष चाहा था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के बाहर जाकर, रास्ते की बाबत् अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, रैस्पो0 को पाबन्द किया जावें कि वह अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी में कोई हस्तक्षेप नहीं करे एवं ना ही कोई निर्माण कार्य करें।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनरूप है। प्रकरण में रास्ते पर निर्माण करने का ही विवाद था। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की सहमति के आधार पर ही उभयपक्ष को रास्ते में कोई निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अपीलाधीन आदेश से पाबन्द किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। क्योंकि अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की सहमति से

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पारित हुआ है। अतः अपीलांट को अपील करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्य बाबत् कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूमि, आराजी खसरा नम्बर 2224, 2225, 2226 वाके ग्राम भुसावर द्वितीय के अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में उक्त खसरा नम्बरो में रैस्पो0 द्वारा उनके कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करने व जबरदस्ती कब्जा कर कच्चा एवं पक्का निर्माण नहीं करने का अनुतोष चाहा है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के जवाब प्रार्थना के आधार पर उक्त खसरा नम्बरो के आस–पास स्थित रास्ते में निर्माण नहीं करने की पाबन्दी आयद की है। जबकि अपीलाण्ट द्वारा चाहे गये अनुतोष पर कोई विचार नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश अपीलाण्ट द्वारा चाहे गये अनुतोष से परे है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायलय के उक्त आदेश को किसी प्रकार विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय दिनांक 08.07.2022 निरस्त किये जाकर ताफैसला मूल वाद रैस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 2224, 2225, 2226 वाके ग्राम भुसावर द्वितीय में उनके कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें व जबरदस्ती कब्जा कर कच्चा एवं पक्का निर्माण नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक **28.04.2025** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर